जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3302 को थाना कोतवाली खीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर से कालर श्री दीपक मौर्या ने सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति (01. प्रेम प्रकाश पाडेय पुत्र नन्द किशोर पाडेय निवासी ग्राम रामनगर सूरत थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर) द्वारा कार से साईकिल में ठोकर लगने से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के सम्बन्ध में दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* का0 दुर्गेश पाठक, हो0चा0 रामकेश ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 108 वाहनों से 62,900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 108 वाहनों से 62,900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार , अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 943/2024 धारा 137(2)/87/65(1)61(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता निसार अहमद पुत्र स्व0 रमजान अहमद निवासी ग्राम बाजहां थाना लालगंज जनपद बस्ती को खलीलाबाद नेशनल हाइवे मड़या निकट एच.आर. कालेज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.12.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के

आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर पीड़िता/अपहृता को बरामद करते हुए आज दिनांक 23.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 मनीष प्रभात, म0आ0 प्रेम विन्द।